कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक :–शिविरा–माध्य/स्थिरी–अ/आ.वि.अधि./2021–22 दिनांक :– 09.07.2021

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक,
समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी

विषयः– आहरण वितरण अधिकार (03 Power) के संबंध में ।
संदर्भः– इस कार्यालय का समसंख्यक पत्रांक/दिनांक 03–03–2021

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अधीनस्थ विद्यालयों के आहरण एवं वितरण अधिकार (03 Power) के प्रस्ताव के संबंध में संदर्भित समसंख्यक पत्र दिनांक 03–03–2021 द्वारा निर्देशित किया गया था कि उक्त प्रस्ताव किस प्रकार से इस कार्यालय को भिजवाने है ।

ध्यान में लाया गया है कि कई अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा आहरण वितरण अधिकार सम्बन्धी प्रस्ताव अपूर्ण व अस्पष्ट भिजवायें जा रहे है । प्राप्त प्रस्तावों में मुख्यतः निम्नांकित कमियां अवलोकित हो रही हैं –

1. प्रस्ताव में पे मैनेजर की ऑफिस आई डी का अंकन नहीं करना ।
2. प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप में नहीं होना ।
3. प्रस्ताव को पीडीएफ प्रारूप में स्केन करने के स्थान पर ईमेज फोरमेट में स्केन कर ई–मेल करवाना, जिसके कारण प्राप्त ई–मेल का प्रिंट पठनीय नहीं हो पाता ।

इस सम्बन्ध में समसंख्यक पंत्राक के परिपेक्ष्य में पुनः निर्देशित किया जाता है कि–:

1. जिस विद्यालय का आहरण एंव वितरण अधिकार प्रस्तावित है एवं जिस अधिकारी को आहरण वितरण अधिकार दिये जाने प्रस्तावित है उसके पदस्थान स्थान की पे मैनेजर की Office ID स्पष्ट एव सुपाठ्य आवश्यक रूप से निर्धारित प्रपत्र में अंकित करें ।
2. प्रस्ताव को निर्धारित प्रपत्र में टंकित करवाकर सुस्पष्ट एवं सुपाठ्य स्कैन करवाकर पीडीएफ प्रारूप में ही ई–मेल आईडी school03power@gmail.com पर ही प्रेषित करावें ।

वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर